

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 27.09.2021

थाना शिवली

दिनांक 26.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0-439/09 धारा-379/44 भादवि में वारन्टी अभियुक्त सन्तोष को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 26.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0-444/20 धारा-379 धारा में वारन्टी अभियुक्त श्रीपाल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना रसूलाबाद

दिनांक 26.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग एसटी नं0 103/19 धारा-354/323/506/325 भादवि में वारन्टी अभियुक्त राजनाथ को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 26.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग एसटी नं0 3261/08 धारा 380 भादवि में वारन्टी अभियुक्त भूल्ले कहार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(3)

दिनांक 26.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग एसटी नं0 522/19 धारा 302/201 भादवि में वारन्टी अभियुक्तगण सुशील आदि 02 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(4)

दिनांक 26.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग एसटी नं0 472/20 धारा-308/325/323/504 भादवि में वारन्टी अभियुक्त रशीद को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना अकबरपुर

दिनांक 26.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0-140/2000 धारा-406 भादवि में वारन्टी अभियुक्त राकेश को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

धारा 151 द0प्र0सं0

दिनांक 27.09.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा थाना शिवली 02, गजनेर 01, भोगनीपुर 02, रसूलाबाद 06, अभियुक्तों को धारा 151 दं0प्र0स0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।